राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 362,363/2012/जयपुर

मै परफेटी वानमेले इण्डिया प्रा.लि
जयपुर .....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्य कर अधिकारी, एई जोन ।।।
जयपुर .....प्रत्यर्थी

अपील संख्या – 1176,1177/2012/जयपुर

वाणिज्य कर अधिकारी, एई जोन ।।।
जयपुर .....अपीलार्थी

बनाम

मै परफेटी वानमेले इण्डिया प्रा.लि
जयपुर .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ कैम्प जयपुर
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह
उपराजकीय अभिभाषक — विभाग की ओर से

श्री अलकेश शर्मा,
अधिकृत अभिभाषक — व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक : 15/05/2017

निर्णय

1. अपील संख्या 362/2012, 363/2012 में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा तथा अपील संख्या 1176/2012, 1177/2012 अपीलार्थी विभाग द्वारा उपायुक्त (अपील्स) तृतीय वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 25,61 एवं 55 के अन्तर्गत अपील संख्या 241,242 में दिये गये आदेश दिनांक 12.12.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन तृतीय, जयपुर (जिसे आगे सक्षम अधिकारी कहा जायेगा) के कर निर्धारण आदेश दिनांक 14.10.2011 में विवादित अन्तर कर राशि एवं ब्याज को यथावत रखते हुए शास्ति को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि अपीलार्थी कम्पनी ब्राण्डेड कनफेक्शनरी गुडस एवं चोको प्रोडेक्टस की खरीद एवं बिक्री का कार्य करती है। व्यवहारी द्वारा कुछ उत्पादों पर 5 प्रतिशत की दर से कर का संग्रहण किया जा रहा है। व्यवहारी कम्पनी द्वारा ब्रांडेड कनफेक्शनरी गुड्स एवं चोको प्रोडक्टस की बिक्री को 5 प्रतिशत कर योग्य घोषित की गई। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त उत्पादों को ब्रांडेड कन्फेक्शनरी मानते हुए 14 प्रतिशत की दर से कर निर्धारित किया गया एवं कर देरी से जमा होने के कारण ब्याज आरोपित किया गया तथा अधिनियिम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा कर व ब्याज को यथावत रखा गया तथा शास्ति अपास्त की गई। कर व ब्याज के बिन्दु पर व्यवहारी द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है तथा शास्ति के बिन्दु पर विभाग द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई

4. व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय एसबी एसटीआर/रेफरेंस संख्या 473/2011 मैसर्स परफेटी वैन मेले इण्डिया प्रा.लि, जयपुर व अन्य बनाम उपायुक्त (अपील्स) तृतीय व अन्य निर्णय दिनांक 17.02.2017 में शास्ति को

निरंतर.....2

अपास्त किया गया है तथा माननीय राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर ने भी अपने निर्णय 1611/11 व अन्य दिनांक 04.05.2017 में कर व ब्याज को यथावत रखते हुए शास्ति को अपास्त किया है।

4. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया की वर्णित निर्णयों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कर व ब्याज को यथावत रखा गया है तथा माननीय कर बोर्ड द्वारा भी कर व ब्याज को यथावत रखा गया है।

5. उभयपक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अध्ययन किया गया। उपलब्ध रिकार्ड देखा गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट आफ तमिलनाडू व अन्य 23 वीएसटीसी 249 में तथा राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर के द्वारा अपील संख्या 332 से 335/2011 जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 26 जुलाई 2011 प्रकरण वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन जोन तृतीय बनाम मै परफेटी वानमेले इण्डिया प्रा.लि में प्रतिपादित सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी कम्पनी के लेखा बहियात में विवादित बिक्री के समस्त संव्यवहारों का इन्द्राज होने के फलस्वरूप पारित आदेश में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित की गयी शास्ति विधिसम्मत नही है एवं उक्त प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तथा राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर के निर्णयो से आच्छादित होने से विवादित अन्तर कर राशि तथा ब्याज राशि को यथावत रखा जाना उचित है। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त निर्णय विधिसम्मत होने के फलस्वरूप किसी हस्तक्षेप की आवश्यक्ता प्रतीत नहीं होती है। अतः व्यवहारी कम्पनी तथा विभाग की और से प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष